भाग सिंह और अन्य आदि

बनाम

पंजाब राज्य

सितंबर 3,1997

[एम. के. मुखर्जी और के. टी. थॉमस, न्यायाधिपतिगण]

आपराधिक कानून- चश्मदीद गवाह के साक्ष्य पर केवल सटीकता/सटीकता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है- गवाही में सटीकता या अस्पष्टता व्यक्तिगत रूप से निर्भर करती है - एक व्यापक देवदूत अदालत में परीक्षण, कथन आदि जैसे पहलुओं पर विचार करेगा।

सत्र न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को बी की हत्या का दोषी पाया गया, जिसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। इस न्यायालय के समक्ष अपील पर, अपीलकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि उन गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, जिन्हें अपीलकर्ताओं में से एक के पिता से जुड़े पहले हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, और जो परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं के प्रति विरोधी थे, उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए; अपीलकर्ताओं ने प्रतिशोध में कार्रवाई की; गवाहों के लिए यह संभव नहीं था कि जो कुछ घटित हुआ उसे सटीक रूप से बता

सकें और चूंकि इस मामले में गवाहों ने ऐसा किया है, इसलिए उनकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया :

1. उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई अपीलकर्ताओं को दी गई दोषसिद्धि और सजा में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि पीडब्लू-13, घटनास्थल पर मौजूद था और उसे भी गंभीर चोटें आईं, जिसमें सिर पर कटे हुए घाव भी शामिल थे। यह तथ्य दोनों अदालतों के निष्कर्ष से सहमत होने में मदद करता है कि पीडब्लू-13, उन हमलावरों को देखने में सक्षम था जिन्होंने उस पर और मृतक पर हमला किया था। उन्होंने बिना किसी संदेह के हमलावरों के रूप में अपीलकर्ताओं के नामों का उल्लेख किया। साक्ष्य से पता चलता है कि वह चांदनी रात थी। अन्य दो प्रत्यक्षदर्शी- पीडब्लू-12, और पीडब्लू-14, ने पीडब्लू-13 के वृतांत का समर्थन किया। यह सच हो सकता है कि पीडब्लू-12, पीडब्लू-13, और पीडब्लू-14, अपीलकर्ताओं के खिलाफ सबूत देने के कारण शिकायत से उबल रहे होंगे जिसके कारण उन्हें दोषी ठहराया गया। उनके बीच मनमुटाव मौजूद रहा होगा। लेकिन यह सच है कि इस घटना में पीडब्लू-13 को भी चोटें आई थीं। इसलिए यह बहुत कम संभावना है कि उसने वास्तविक हमलावरों को बख्श दिया होगा और इन अपीलकर्ताओं को केवल इसलिए झूठा फंसाया होगा क्योंकि वह अन्यथा उनके विरूद्ध खराब

स्वभाव रखता है। यह साक्ष्य में है कि के की हत्या के मामले में अभियुक्तों को दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बावजूद उनके द्वारा दायर अपीलों के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय के आदेश के अनुसार उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसलिए दोषी ठहराए जाने के तथ्य से के. के हत्यारों के प्रति बदला लेने की प्यास नहीं बुझेगी। [744-डी-एच]

2. यह सभी चश्मदीद गवाहों से जुड़ी एक सामान्य बाधा है, यदि वे सटीकता से बोलने में विफल रहते हैं तो उनके सबूतों को अस्पष्ट और टालमटोल करने वाला मान लिया जाएगा; इसके विपरीत यदि वे सभी घटनाओं के बारे में बहुत अच्छी तरह और सही ढंग से बात करते हैं, तो उनके साक्ष्य पर हमला किए जाने का ख़तरा हो जाता है। दोनों दृष्टिकोण हठधर्मी हैं और व्यावहारिकता की कमी से भरे हुए हैं। किसी गवाह की गवाही को व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इसे सोने के तराजू में नहीं, ठोस मापदण्डों से तौलना चाहिए। किसी विशेष मामले में एक चश्मदीद गवाह बिना गलती के पूरे विवरण के साथ घटना का वर्णन करने में सक्षम हो सकता है यदि घटना ने उसके दिमाग के कैनवास पर उसी क्रम में छाप छोड़ी हो जिसमें वह घटित हुई थी। वह ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी घटनाओं को आत्मसात करने और याद रखने की क्षमता किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत हो। यह याद रखना

चाहिए कि उसने जो देखा वह ऐसा कुछ नहीं था जो आमतौर पर होता है लेकिन जहां तक उसका सवाल है वह बहुत असाधारण था। यदि वह इसे उसी क्रम में पुन: प्रस्तुत करता है जैसा कि यह उसके दिमाग में दर्ज है तो केवल उसी आधार पर गवाही को कृत्रिम नहीं करार दिया जा सकता है। यहां विचारण न्यायालय को उन गवाहों से घटना का विवरण सुनने का अवसर मिला, जो संस्करण की सच्चाई से प्रभावित हुआ। अब यह कहना उचित नहीं है कि उन गवाहों की गवाही अपनी सटीकता के कारण अस्वीकृति के योग्य थी। इसके अलावा, उन्होंने अदालत में मुख्य परीक्षक द्वारा उनसे पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर के रूप में बात की होगी। यह घटनाओं के सही क्रम में गवाह से उत्तर जानने में मुख्य परीक्षक की क्षमता पर निर्भर करता है। इस देवदूत के सबूतों को देखते हुए यह अदालत इस मामले में चश्मदीद गवाह की गवाही को गलत तरीके से बताने के लिए उसकी निंदा करने को तैयार नहीं है। [745-सी-जी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 638/1995 आदि

आपराधिक अपील संख्या 641-डीबी/1987 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 30.1.90 से।

यू.आर. ललित और टी.एस. अरुणाचलम, एल.के. पांडे, अपीलकर्ताओं की ओर से आपराधिक अपील संख्या 638/95 में।

के.बी. सिन्हा, एच.एस. मुंजराल, विक्रांत राणा और सुश्री बी राणा, आपराधिक अपील संख्या 402/1995 में अपीलकर्ता के लिये, मेसर्स एस.एस. राणा एंड कंपनी के लिए

अजय बंसल, आर.एस. सोढी के लिये, प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय थॉमस न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

यह एक अन्य हत्या के प्रतिशोध के रूप में की गई हत्या की कहानी है। अपीलकर्ता दूसरी हत्या में शामिल थे और उन्होंने सत्र अदालत द्वारा उन पर लगाई गई दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी थी और अपील में उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।

इस मामले में मारा गया व्यक्ति बगीचा सिंह था। उक्त बगीचा सिंह और जगतार सिंह के बीच एक घर के निर्माण को लेकर विवाद था जो कुछ समय तक जीवित रहा। उस विवाद में करनैल सिंह (आरोपी नंबर 1 से 3 के पिता) ने जगतार सिंह को समर्थन दिया था। पिछली घटना में उक्त करनैल सिंह की हत्या कर दी गई थी और पीडब्लू-12 बलकार सिंह, पीडब्लू-13 स्वर्ण सिंह और पीडब्लू-14 हरदीप सिंह और कुछ अन्य के खिलाफ आपराधिक मामले में आरोप-पत्र दायर किया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मामले में घटना 27-1-1985 की रात लगभग 8.00 बजे हुई, जब मृतक बगीचा सिंह पीडब्लू-12, पीडब्लू-13

और पीडब्लू-14 के साथ में अपने गांव जाने के लिए जा रहे थे। हरबंस सिंह नामक व्यक्ति के आँगन के पास अपीलकर्ताओं सहित आठ हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। अपीलकर्ता गुरमुख सिंह (ए-1) ने अपने पिता करनैल सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए अपने साथी हमलावरों को हमले करने के लिए उकसाया। ए-4 सतनाम सिंह ने मृतक पर बंदूक से गोली चलाई और ए-1 गुरमुख सिंह, ए-3 गुरबिंदर सिंह और ए-6 गुरबक्स सिंह ने मृतक पर कृपाण से हमला किया और ए-2 हरजिंदर सिंह ने भाले से हमला किया। ए-5 मोहिंदर सिंह और ए-7 दर्शन सिंह ने पीडब्लू-13 स्वर्ण सिंह पर कृपाण से हमला किया, जबकि ए-8 भाग सिंह ने उस पर बंदूक से गोली चलाई। जैसे ही हमलावरों को लगा कि उनका मकसद पूरा हो गया है तो वे सभी हथियार लेकर वहां से भाग गए।

बगीचा सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और घायल पीडब्लू-13 स्वर्ण सिंह को अस्पताल ले जाया गया। प्रथम सूचना पीडब्लू-14 हरदीप सिंह द्वारा दर्ज करायी गयी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और कुछ हथियार बरामद किए और जांच पूरी होने पर अपीलकर्ताओं सहित आठ लोगों का चालान कर दिया गया। हालांकि सत्र न्यायालय ने सभी आठ आरोपियों को हत्या, हत्या का प्रयास और दंगा आदि करने के अपराध में दोषी ठहराया, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ए-2 हरजिंदर सिंह, ए-4 सतनाम सिंह और ए-5 मोहिंदर सिंह को बरी कर

दिया। हालाँकि, अपीलकर्ताओं को दी गई दोषसिद्धि और सजा की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी और इसलिए ये अपीलें विशेष अनुमति द्वारा की गईं।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि पीडब्लू-13 स्वर्ण सिंह घटनास्थल पर मौजूद था और उसे भी गंभीर चोटें आईं, जिसमें सिर पर कटे हुए घाव भी शामिल थे। यह तथ्य हमें दोनों अदालतों के निष्कर्ष से सहमत होने में मदद करता है कि पीडब्लू-13 स्वर्ण सिंह उन हमलावरों को देखने में सक्षम था जिन्होंने उस पर और मृतक पर हमला किया था। उन्होंने बिना किसी संदेह के हमलावरों के रूप में अपीलकर्ताओं के नामों का उल्लेख किया। साक्ष्य से पता चलता है कि वह चांदनी रात थी। अन्य दो चश्मदीद गवाह पीडब्लू-12 बलकार सिंह और पीडब्लू-14 हरदीप सिंह ने पीडब्लू-13 स्वर्ण सिंह के वृतांत का समर्थन किया।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने उपरोक्त साक्ष्य पर तीन-आयामी तर्क अपनाया। पहला, चूंकि सभी गवाहों को अपीलकर्ताओं के प्रति इस तथ्य के कारण नापसंद किया गया था कि अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर उन्हें पहले हत्या के मामले (जिसमें करनैल सिंह की मृत्यु हो गई थी) में दोषी ठहराया गया था, उन गवाहों की गवाही पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिये था। दूसरा, अपीलकर्ताओं के पास करनैल सिंह की हत्या का बदला लेने का कोई कारण नहीं था क्योंकि हत्यारों को

अदालत ने दोषी ठहराया था। तीसरा, किसी भी व्यक्ति के लिए प्रत्येक हमलावर द्वारा किए गए विभिन्न व्यक्तिगत कृत्यों को सावधानीपूर्वक सटीक रूप से बताना असंभव था और चूंकि इस मामले में गवाहों ने गवाही दी है, इसलिए उनकी गवाही को अकेले ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

यह सच हो सकता है कि पीडब्लू-12 बलकार सिंह, पीडब्लू-13 स्वर्ण सिंह और पीडब्लू-14 हरदीप सिंह अपने खिलाफ सबूत देने के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ शिकायत कर रहे होंगे जिसके कारण उन्हें दोषी ठहराया गया। उनके बीच मनमुटाव मौजूद रहा होगा। लेकिन यह सच है कि इस घटना में पीडब्लू-13 स्वर्ण सिंह को भी चोटें आई थीं। इसलिए यह बहुत कम संभावना है कि उसने वास्तविक हमलावरों को बख्श दिया होगा और इन अपीलकर्ताओं को केवल इसलिए झूठा फंसाया होगा क्योंकि अन्यथा वह उनके प्रति बुरा व्यवहार रखता था।

यह साक्ष्य में है कि करनैल सिंह हत्या मामले में अभियुक्तों को दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बावजूद उनके द्वारा दायर अपीलों के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय के आदेशों के अनुसार उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसलिए सजा के तथ्य से करनैल सिंह के हत्यारों के प्रति बदला लेने की प्यास नहीं बुझेगी।

तीसरा बिंदु जो वकील द्वारा जबरन लागू किया गया था, वह यह है कि किसी भी चश्मदीद गवाह से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह प्रत्येक हमलावर द्वारा निभाई गई संबंधित भूमिकाओं के बारे में सटीक रूप से बात करेगा, जिसमें शरीर की स्थिति भी शामिल है जहां प्रत्येक झटका लगा था, खासकर जब से घटना रात के समय हुई थी और उस स्थिति में जब गवाह सटीकता से बात करते हैं तो उनकी गवाही अत्यधिक अविश्वसनीय हो जाती है।

यह सभी चश्मदीद गवाहों से जुड़ी एक सामान्य बाधा है, यदि वे सटीक रूप से बोलने में विफल रहते हैं तो उनके साक्ष्य को अस्पष्ट और टालमटोल के रूप में हमला किया जाएगा, इसके विपरीत यदि वे सभी घटनाओं के बारे में बहुत अच्छी तरह से और सही ढंग से बात करते हैं तो उनके साक्ष्य पर हमला किए जाने का खतरा हो जाता है। दोनों दृष्टिकोण हठधर्मी हैं और व्यावहारिकता की कमी से भरे हुए हैं। किसी गवाह की गवाही को व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इसे सोने के तराजू में नहीं, ठोस मापदण्डों से तौलना चाहिए। किसी विशेष मामले में एक चश्मदीद गवाह बिना गलती के पूरे विवरण के साथ घटना का वर्णन करने में सक्षम हो सकता है यदि घटना ने उसके मस्तिष्क के पटल पर उन अनुक्रमों में छाप छोड़ी है जिसमें यह घटित हुआ था। वह ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी घटनाओं को आत्मसात करने और याद रखने की क्षमता

किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत हो। यह याद रखना चाहिए कि उसने जो देखा वह ऐसा कुछ नहीं था जो आमतौर पर होता है लेकिन जहां तक उसका सवाल है वह बहुत असाधारण था। यदि वह इसे उन्हीं अनुक्रमों में पुन: प्रस्तुत करता है जैसा कि यह उसके दिमाग में दर्ज है तो प्रशंसापत्र को केवल उसी आधार पर कृत्रिम नहीं करार दिया जा सकता है।

यहां विचारण न्यायालय को उन गवाहों से घटना का विवरण सुनने का अवसर मिला, जो संस्करण की सच्चाई से प्रभावित हुआ। अब यह कहना उचित नहीं है कि उन गवाहों की गवाही अपनी सटीकता के कारण अस्वीकृति के योग्य थी। इसके अलावा, उन्होंने अदालत में मुख्य परीक्षक द्वारा उनसे पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर के रूप में बात की होगी। यह घटनाओं के सही क्रम में गवाह से उत्तर जानने में मुख्य परीक्षणकर्ता की क्षमता पर निर्भर करता है इस कोण से सबूतों को देखते हुए हम इस मामले में विवरण सही ढंग से बोलने के लिए चश्मदीद गवाह की आलोचना करने के लिए तैयार नहीं हैं।

हमें उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई अपीलकर्ताओं को दी गई दोषसिद्धि और सजा में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिला। तदनुसार, हम इन अपीलों को खारिज करते हैं।

आई.एम.ए.

अपीलें खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।